



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122025-268884
CG-DL-E-29122025-268884

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5865]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 29, 2025/पौष 8, 1947

No. 5865]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 29, 2025/PAUSHA 8, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2025

का.आ. 6065(अ).— आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5ग और 5ङ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार 'क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर असोसिएशन' (पैन: AAATC1278N) वेल्लोर, तमिलनाडु को आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5ग और 5ङ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ 'विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था' की श्रेणी के अंतर्गत 'वैज्ञानिक अनुसंधान' हेतु अनुमोदित करती है।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी तथा तदनुसार निर्धारण वर्षों 2026-27 से 2030-31 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 173 /2025/फा. सं. 203/45/2024/ITA-II]

कास्त्रो जयप्रकाश टी., अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन: यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2025

S.O. 6065(E).—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) read with Rules 5C and 5E of the Income-tax Rules, 1962, the Central Government hereby approves **The Christian Medical College Vellore Association (PAN:AAATC1278N), Vellore, Tamil Nadu** for ‘Scientific Research’ under the category of ‘University, college or other institution’ for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with rules 5C and 5E of the Income-tax Rules, 1962.

2. This Notification shall apply with effect from the date of publication in the Official Gazette and accordingly shall be applicable for Assessment Years 2026-27 to 2030-31.

[Notification No. 173/2025/F. No. 203/45/2024/ITA-II]

CASTRO JAYAPRAKASH T., Under Secy.

Explanatory Memorandum: It is certified that no person is being adversely affected by granting retrospective effect to this notification.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122025-268885
CG-DL-E-29122025-268885

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5866]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 29, 2025/पौष 8, 1947

No. 5866]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 29, 2025/PAUSHA 8, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2025

का.आ. 6066(अ).— आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5ग और 5ङ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार 'भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान' (पैन: AAAAI1546E), पुणे को आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5ग और 5ङ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ 'विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था' की श्रेणी के अंतर्गत 'वैज्ञानिक अनुसंधान' हेतु अनुमोदित करती है।

2. यह अधिसूचना निर्धारण वर्षों 2026-27 से 2030-31 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं.174/2025/फा. सं. 203/01/2025/ITA-II]

कास्त्रो जयप्रकाश टी., अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन: यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2025

S.O. 6066(E).— In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) read with Rules 5C and 5E of the Income-tax Rules, 1962, the Central Government hereby approves **Indian Institute of Science Education and Research, (PAN: AAAAI1546E), Pune** for ‘**Scientific Research**’ under the category of ‘**University, college or other institution**’ for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with rules 5C and 5E of the Income-tax Rules, 1962.

2. This Notification shall be applicable for Assessment years 2026-27 to 2030-31.

[Notification No. 174/2025/F. No. 203/01/2025/ITA-II]

CASTRO JAYAPRAKASH T., Under Secy.

Explanatory Memorandum: It is certified that no person is being adversely affected by granting retrospective effect to this notification.